झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 18 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED
18/05/2023

अपीलकर्त्ता श्रीमती ललिता देवी एवं अन्य, ग्राम- बौंहीकुदर, पो० बान्दु, प्र०+थाना- रंका, गढ़वा।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, गढ़वा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–18 / 2023

परिवादी श्रीमती ललीता देवी एवं अन्य, ग्राम–बाहोकुदर, पो0–बान्दु, थाना–रंका, जिला–गढ़वा का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ।

अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा को प्रेषित शिकायत पत्र की प्रति आयोग को उपलब्ध कराते हुए सूचित किया गया है कि PDS संबंधी दिनांक–04.02.2023 को उनके द्वारा DGRO के समक्ष किये गये शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई है। अपीलकर्ताओं द्वारा निम्न से संबंधित शिकायत की गई है:–

1. माह सितम्बर से राशन नहीं दिया जा रहा है। पूछने पर बताया जाता है कि आगे से राशन नहीं मिल रहा है।
2. आधा कि0ग्रा0 कम राशन दिया जाता है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–19.04.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

29.3.23 22.03.2023

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–18 / 2023	
19.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा का कहना है कि उन्हें जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार परिवादी को राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण रजिस्टर में दर्ज है। जबकि परिवादी का कहना है कि उन्हें सभी बकाया अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, और दो माह का राशन अभी भी बकाया है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे शिकायतकर्ता को बकाया अनाज उपलब्ध करायें एवं यदि उन्हें सभी बकाया अनाज उपलब्ध करा दिया गया है, तो प्रमाण आयोग कों भेजें। अगली सुनवाई तक आयोग के आदेश के अनुपालन का प्रमाण भेजें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–16.05.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx59	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16-05-2023	**वाद सं0–18 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है। इस बिच आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन उपलब्ध है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता को बकाया अनाज उपलब्ध करा दिया गया है और शिकायतकर्ता श्रीमती ललिता देवी एवं अन्य ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को लिखित रूप से सूचित किया है कि उन्हें अब कोई शिकायकत नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के पत्र के आलोक में आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	